

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 984
दिनांक 08.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

984. डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश-वार विदेशी जेलों में बंद मछुआरों और नागरिकों सहित भारतीयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने और विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं तथा इसके साथ-साथ इसके परिणाम क्या रहें;

(ग) क्या सरकार ने कैदियों के द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए किसी अन्य देश के साथ समझौता ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिनके साथ भारत ने आज तक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 9521 है। देश-वार सूची अनुबंध 'क' में दी गई है। हालाँकि, कई देशों में प्रचलित मजबूत निजता कानूनों के कारण, स्थानीय अधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करते हैं जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति नहीं देता है। यहां तक कि जानकारी साझा करने वाले देश भी आम तौर पर अन्य देश के कैदियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं।

(ख) सरकार विदेशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा, हिफाजत और सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जिसमें विदेशी जेलों में बंद कैदी भी शामिल हैं। विदेशों में भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन/कथित उल्लंघन के लिए अन्य देशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं।

जैसे ही किसी भारतीय मिशन/केंद्र को किसी भारतीय नागरिक की हिरासत/गिरफ्तारी की सूचना मिलती है, वह हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार भारतीय नागरिक को कौंसली सहायता प्रदान करने, मामले के तथ्यों का पता लगाने, उसकी भारतीय राष्ट्रियता की पुष्टि करने और उसकी सलामती सुनिश्चित करने के लिए तुरंत स्थानीय विदेश

कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करता है। मिशन/केंद्र विदेशी जेलों में भारतीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहते हैं।

विदेशों में कैद भारतीयों को हर संभव कौंसली सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन और केंद्र जहां भी आवश्यकता होती है, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मदद करते हैं। मिशन और केंद्र जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं वहां वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी रखा जाता है। संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा सुविधाएं प्रदान के लिए किसी भी भारतीय कैदी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना विदेशों में भारतीय मिशनों और केंद्रों में संकट की स्थिति में फंसे प्रवासी भारतीय नागरिकों को योग्य मामलों में माली हालत के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता के साथ-साथ स्वदेश वापसी के लिए यात्रा दस्तावेज/हवाई टिकट के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी शामिल है।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी का मुद्दा नियमित रूप से भारतीय मिशनों और केंद्रों द्वारा संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ उठाया जाता है। विदेश स्थित मिशन/केंद्र भी जांच और न्यायिक कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। सरकार अन्य देशों के साथ कौंसली और अन्य परामर्शों के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा करती है। इसके अलावा सरकार, विदेशों स्थित अपने मिशनों/केंद्रों के माध्यम से और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान विदेशों में भारतीय कैदियों की माफी/सजा कम करने के मुद्दे को भी उठाती है और उनका अनुसरण करती है।

(ग) भारत ने 31 देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण (टीएसपी) संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। टीएसपी के प्रावधानों के तहत, अन्य देशों में बंद भारतीय कैदियों को उनकी शेष सजा काटने के लिए भारत में और भारत की जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को शेष सजा काटने के लिए उनके देशों में स्थानांतरित किया जा सकता है। भारत ने जिन 31 देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वे हैं ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जोगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, एस्तोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम।

भारत ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए दो बहुपक्षीय अभिसमयों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात् विदेश में आपराधिक सजा पूरी करने के संबंध में अंतर-अमेरिकी अभिसमय और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए यूरोप परिषद अभिसमय, जिसके आधार पर सदस्य देश और अन्य देश, जो इन अभिसमय पर सहमत हैं, के सजायाफ्ता व्यक्ति अपनी शेष सजा पूरी करने के लिए अपने मूल देशों में स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं।

(घ) विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण मामलों और प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है जो भारत से भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण को विनियमित करता है। समान्यतः कोई भी अपराध जिसके लिए एक वर्ष की कैद या इससे अधिक गंभीर दंड का प्रावधान है, वह प्रत्यर्पण योग्य अपराध है। भगोड़े अपराधियों को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि या व्यवस्था या लागू अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

अब तक, भारत ने 50 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था संपन्न की है। (अनुबंध 'ख')

क्र.सं.	देश	विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या
1	अल्जीरिया	1
2	अंगोला	1
3	अर्जेंटीना	1
4	आर्मीनिया	11
5	ऑस्ट्रेलिया	65
6	ऑस्ट्रिया	8
7	अजरबैजान	5
8	बहरीन	310
9	बांग्लादेश	47
10	बेलारूस	1
11	बेल्जियम	10
12	भूटान	59
13	ब्रुनेई दारुस्सलाम	1
14	बुल्गारिया	3
15	कंबोडिया	1
16	कनाडा	23
17	चिली	1
18	चीन	180
19	कांगो (किंशासा)	1
20	कोट डी आइवर	7
21	क्यूबा	1
22	साइप्रस	51
23	चेक रिपब्लिक	1
24	डेनमार्क	5
25	मिस्र	1
26	इथियोपिया	1
27	फ्रांस	40
28	जॉर्जिया	15
29	जर्मनी	77
30	यूनान	23
31	ग्वाटेमाला	1
32	हंगरी	2
33	इंडोनेशिया	22
34	ईरान	3
35	इजराइल	5
36	इटली	165
37	जमैका	1
38	जापान	4
39	जॉर्डन	35
40	केन्या	2
41	कुवैत	410

42	किर्गिजस्तान	2
43	लाओस	3
44	लेबनान	6
45	मेडागास्कर	2
46	मलावी	1
47	मलेशिया	309
48	मालदीव	12
49	माल्टा	2
50	मॉरीशस	9
51	मेक्सिको	1
52	मोजाम्बिक	6
53	म्यांमार	24
54	नामिबिया	1
55	नेपाल	1227
56	न्यूजीलैंड	11
57	नाइजीरिया	2
58	ओमान	135
59	पाकिस्तान	308
60	फिलिपींस	34
61	पोलैंड	7
62	पुर्तगाल	10
63	कतर	752
64	आयरलैंड गणराज्य	5
65	कोरियाई गणतन्त्र	3
66	रोमानिया	2
67	रूस	37
68	रवांडा	2
69	सऊदी अरब	2200
70	सेनेगल	4
71	सर्बिया	2
72	सिंगापुर	86
73	दक्षिण अफ्रीका	1
74	स्पेन	30
75	श्रीलंका	23
76	स्विट्जरलैंड	2
77	तजाकिस्तान	1
78	तंजानिया	3
79	थाईलैंड	40
80	टोगो	2
81	त्रिनिदाद और टोबैगो	2
82	संयुक्त अरब अमीरात	2143
83	यूनाइटेड किंगडम	278
84	यूएसए	170
85	उज़्बेकिस्तान	2

86	वेनेज़ुएला	12
87	वियतनाम	3
88	यमन	1
89	ज़िम्बाब्वे	2
	कुल	9521

वे देश जिनके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं

1	अफ़ग़ानिस्तान	18	ईरान	35	रूस
2	ऑस्ट्रेलिया	19	इजराइल	36	सऊदी अरब
3	अजरबैजान	20	कजाख़स्तान*	37	दक्षिण अफ्रीका
4	बहरीन	21	कुवैत	38	दक्षिण कोरिया
5	बांग्लादेश	22	लिथुआनिया	39	स्पेन
6	बेलारूस	23	मलावी	40	स्विट्ज़रलैंड
7	बेल्जियम	24	मलेशिया	41	तजाकिस्तान
8	भूटान	25	मॉरीशस	42	थाईलैंड
9	ब्राज़ील	26	मेक्सिको	43	ट्यूनीशिया
10	बुल्गारिया	27	मंगोलिया	44	टर्की
11	कनाडा	28	मोरक्को*	45	संयुक्त अरब अमीरात
12	चिली	29	नेपाल	46	यूक्रेन
13	मिस्र	30	नीदरलैंड	47	यूनाइटेड किंगडम
14	फ्रांस	31	ओमान	48	यूएसए
15	जर्मनी	32	फिलिपींस	49	उज़्बेकिस्तान
16	हांगकांग	33	पोलैंड	50	वियतनाम
17	इंडोनेशिया	34	पुर्तगाल		

*अभी तक संबंधित देश द्वारा अनुसमर्थन किया जाना बाकी है

वे देश जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण व्यवस्था है

1	क्रोएशिया	5	पेरू	9	तंजानिया
2	फ़िजी	6	सिंगापुर	10	एंटीगुआ और बारबुडा
3	इटली	7	श्रीलंका	11	आर्मीनिया
4	पापुआ न्यू गिनी	8	स्वीडन	12	न्यूज़ीलैंड
